Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
Available online at : www.shisrrj.com
OPEN ACCESS
© 2024 SHISRRJ | Volume 7 | Issue 1
ISSN : 2581-6306
doi : https://doi.org/10.32628/SHISRRJ

मत्स्य पुराण में वर्णित न्याय तथा दण्ड व्यवस्था

डॉ सिद्धार्थ सिंह
असिस्टेन्ट प्रोफेसर,
प्राचीन इतिहास पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग,
तिलकधारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जौनपुर
उत्तर प्रदेश

सन्तोष कुमार पाण्डेय
शोध छात्र,
प्राचीन इतिहास पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग,
तिलकधारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जौनपुर
उत्तर प्रदेश

Article Info
Publication Issue :
January-February-2024
Volume 7, Issue 1

Page Number : 28-36

Article History
Received : 01 Feb 2024
Published : 08 Feb 2024

शोध सारांश - मत्स्य पुराण हिन्दू धर्म के पवित्र अष्टादश पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन एवं महत्वपूर्ण पुराण है। इसे केवल धार्मिक ग्रन्थ कहकर इसके अन्य पक्ष को उपेक्षित करना किसी भी दृष्टि से तर्कसंगत नहीं है। यह भारतीय राजनीतिक चिन्तन की या बहुमूल्य निधि है। यह राजनीतिक जीवन के अन्तर्गत सर्वसुलभ न्याय तथा दण्ड व्यवस्था का सुन्दर चित्र हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। राजा का प्रमुख कार्य धर्म के अनुसार शासन का संचालन करना, प्रजा की रक्षा करना, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार न्याय करना तथा दोषियों को दण्डित करना था। राजा के लिए अपने राज्य में सशक्त दण्डनीति का पालन आवश्यक था क्योंकि इसकी अनुपस्थिति में समाज में मत्स्य न्याय फैल जाएगा अर्थात् जिस प्रकार बड़ी मछली छोटी को खा जाती है ठीक उसी प्रकार शक्तिशाली लोग निर्बल व्यक्तियों का शोषण करना प्रारम्भ कर देते हैं। इस समय अपराध की प्रवृत्ति के आधार पर अर्थदण्ड (जुर्माना) शारीरिक दण्ड / मृत्युदण्ड अथवा दोनों ही प्रकार के दण्ड दिए जाते थे। सामान्य प्रवृत्ति वाले अपराध में अर्थदण्ड जबकि गम्भीर प्रवृत्ति वाले अपराध में मृत्युदण्ड की सजा दीजातीथी।

मुख्य शब्द - मत्स्य पुराण, न्याय, कृष्णल, पण, काषार्पण, उत्तम साहस दण्ड, अर्थदण्ड, शारीरिक दण्ड या मृत्युदण्ड, ब्राह्मण, क्षत्रिय , वैश्य तथा शूद्र

हिन्दू धार्मिक ग्रन्थों के अन्तर्गत अष्टादश पुराणों में मत्स्य पुराण विविध दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। श्री हरि विष्णु के मत्स्य अवतार से सम्बन्धित होने के कारण इस पुराण को मत्स्य पुराण कहा गया।

Copyright © 2023 The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution **4.0 International License (CC BY-NC 4.0)** which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium for non-commercial use provided the original author and source are credited.

इसमें कुल 291 अध्याय, 14,000 श्लोक तथा सात कल्पों की मिली-जुली कथा है। यह पुराण मत्स्य-मनु के संवाद से प्रारम्भ होता है। इस ग्रन्थ से धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक जीवन के साथ-2 राजनैतिक जीवन से सम्बन्धित विविध प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। राजनैतिक जीवन के अन्तर्गत राज्य की उत्पत्ति, राजधर्म एवं सुशासन, विविध राजवंश तथा उससे सम्बन्धित राजाओं का, राजा के आवश्यक गुण, राजा के कर्तव्य, मत्रियों की योग्यताएँ, राजा के अनुचरों के कर्तव्य, राजा की नीतियां (साम, दाम, दण्ड, भेद) के साथ-2 उसकी न्याय तथा दण्ड व्यवस्था से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त होती है। इस शोधपत्र में मत्स्य पुराण में वर्णित न्याय तथा दण्ड व्यवस्था का विस्तृत विवेचना करने का प्रयास किया गया है |

न्याय व्यवस्था

इस समय राजा को प्रधान न्यायाधीश माना जाता था। प्रजा की रक्षा करना तथा न्याय के अनुसार शासन व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन करना एक शासक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कर्तव्य तथा धर्म था। मनुस्मृति में न्यायिक शासन को धर्म का संकेतक कहा गया। इसके अनुसार जहाँ न्याय होता है वहाँ धर्म के शरीर को छेदने वाला अधर्म रुपी बाण स्वत: ही निकल जाता है[1]। याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार निष्पक्ष न्याय से ठीक उसी प्रकार का फल मिलता है, जिस प्रकार पवित्र यज्ञ करने से पुण्य रूपी फल प्राप्त होता है[2]। अत: स्पष्ट है कि धर्म के अनुसार शासन का संचालन अत्यधिक पुण्य का कार्य माना गया। मत्स्य पुराण से जानकारी प्राप्त होती है कि इस समय राजा धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, न्यायशास्त्र के जानकार लोगों को अपनी सभा में नियुक्त करता था। ये लोग राजा को न्यायिक कार्य में परामर्श देते, राजा की सहायता करते तथा राजा की अनुपस्थिति में उसके प्रतिनिधि के रूप में न्याय भी करते थे[3]। न्याय के अनुसार शासन व्यवस्था का संचालन राजा का महत्वपूर्ण कर्तव्य था, वह अपने राज्य के विवादों का निपटारा योग्य मंत्रियो तथा ब्राह्मणों के सहयोग से करता था। यदि वह इस कार्य में जरा सी भी लापरवाही करता तो वह पाप का भागीदार बनता । मत्स्य पुराण में न्याय के महत्व का वर्णन करते हुए कहा गया है कि यदि राज्य में दण्डनीति की उचित व्यवस्था न कि जाए तो बालक, वृद्ध, ब्राह्मण,, स्त्री, सन्यासी तथा विधवा, ये सभी मत्स्य न्याय से पीड़ित हो जाएंगे|[4] न्यायिक व्यवस्था निष्पक्ष तथा सर्वसुलभ होनी चाहिए इसके लिए राजा अनेक प्रकार के योग्य, कर्मठ, ईमानदार अधिकारियों की नियुक्ति करता तथा आवश्यकता पड़ने पर उनसे सहायता व परामर्श भी ले सकता था। यदि शासन के संचालन में न्याय का समुचित प्रबन्ध नहीं होगा तो राज्य में अराजकता व्याप्त हो जायेगी, जो किसी भी राजा तथा उसके सम्पूर्ण राज्य के लिए उचित नहीं है|

अपराध तथा उसके लिए निर्धारित सजा (दण्ड)

एक राजा का प्रमुख कार्य सामाजिक नियमों का कड़ाई से पालन करवाना तथा इसका उल्लंघन करने वाले को दण्डित करना था । मत्स्य पुराण में विविध प्रकार के अपराधों के लिए विभिन्न प्रकार के दण्ड निर्धारित किए गए। इनमें से कुछ अपराधों के लिए अर्थदण्ड (जुर्माना) का प्रावधान किया गया जबकि

गम्भीर अपराधों के लिए मृत्युदण्ड तक का प्रावधान किया गया। मत्स्य पुराण के अनुसार राजा को अपने योग्य मन्त्रियों के साथ उचित विचार-विमर्श के पश्चात तथा धर्मशास्त्र में दिए गए निर्देशों के अनुसार ही दण्ड देना चाहिए|[5] यदि राजा अपराधी को दण्ड न देकर गलती से भी निर्दोष को दण्ड दे देता है तो वह नर्क में जाता है तथा अपना राज्य भी गंवा बैठता है इसलिए राजा को दण्ड देते समय सर्वाधिक सावधान रहना चाहिए। उसे धर्मशास्त्र में दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए।[6] राजा को अपने देश के भीतर एवं देश के बाहर भी उचित दण्ड की व्यवस्था करनी चाहिए उसे धर्मशास्त्रों के जानकार व्यक्ति को सजा नहीं देनी चाहिए।[7] मत्स्य पुराण के अनुसार यदि कोई राजा दण्ड दे सकने में समर्थ नहीं है तो उसके राज्य में बच्चे, बूढ़े, ब्राह्मण, सन्यासी, विधवा शक्तिशाली व्यक्तियों के शिकार हो जाएंगें|[8] जिस प्रकार बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है ठीक उसी प्रकार कमजोर व्यक्तियों को शक्तिशाली व्यक्ति शिकार बनाना शुरू कर देते हैं अर्थात शक्तिशाली लोग निर्बल लोगों को सताना प्रारम्भ कर देते हैं। मत्स्य पुराण के अनुसार दण्ड के द्वारा ही राजा प्रजा पर शासन कर सकने तथा उसकी रक्षा कर सकने में समर्थ होता है। दण्ड के ही भय से पापी लोग पाप करने से भय खाते हैं[9] इसलिए राजा को इसका प्रयोग नीति के अनुसार ही करना चाहिए | इसके अन्तर्गत शारीरिक यातना, मौत, अर्थदण्ड शामिल था।

अर्थदण्ड- मत्स्य पुराण में अनेक ऐसे अपराधों का उल्लेख है जिनके लिए अर्थदण्ड का प्रावधान किया गया है |

1. यदि कोई व्यक्ति अपनी अभिरक्षा में रखे हुए किसी वस्तु का गलत उपयोग करता है तो उस पर उपयोग की हुई वस्तु के मूल्य के बराबर अर्थदण्ड लगाया जाना चाहिए। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति अपनी अभिरक्षा में रखे हुए वस्तु को उसके वास्तविक स्वामी को वापस नहीं करता है तो उस व्यक्ति पर वस्तु के मूल्य के दोगुने के बराबर अर्थदण्ड लगाना चाहिए।
2. यदि कोई शिक्षक शिक्षण शुल्क प्राप्ति के बाद भी छात्रों को पूर्ण ज्ञान / प्रशिक्षण नहीं देता है तो उस शिक्षक पर शिक्षण शुल्क के बराबर अर्थदण्ड लगाना चाहिए।
   यदि किसी ब्राह्मण को आमांत्रित किया गया है, परन्तु वह अकारण ही घर पर उपस्थित नहीं है तो उस ब्राह्मण पर 108 दाम के बराबर अर्थदण्ड लगाया जाना चाहिए।
3. जो व्यक्ति किसी को उपहार देने का वादा करता है परन्तु वह अपने वादे को पूरा नहीं करता है तो उस पर भी अर्थदण्ड लगाया जाना चाहिए। इसी प्रकार जो सेवक अहंकारी होने के कारण अपने स्वामी के आदेशों की अवहेलना करता है उसे मजदूरी नहीं दी जानी चाहिए तथा उस सेवक पर 8 कृष्णल का अर्थदण्ड लगाया जाना चाहिए । जो स्वामी अपने सेवक को समय पर वेतन नहीं देता है, उसे बिना किसी गलती के असमय ही निकाल देता है तथा जो स्वामी अपने अधीन रखी हुई सेवक की वस्तु को वापस नहीं करता है, उस पर 100 कृष्णल का अर्थदण्ड लगाना चाहिए।

4. जो व्यक्ति किसी वस्तु को बेचने या खरीदने की तिथि से दस दिन के भीतर शेष मूल्य का भुगतान नहीं करता है, उस पर 600 कृष्णल का अर्थदण्ड लगाया जाना चाहिए।
5. यदि कोई पिता अपनी पुत्री के दोषों को छिपाकर उसका विवाह करता है तो उस पर 96 पण का अर्थदण्ड लगाया जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति किसी की पुत्री को दोषयुक्त बताता है लेकिन उसे सत्य नहीं सिद्ध कर पाता है तो उस व्यक्ति पर 100 पण का अर्थदण्ड लगाया जाना चाहिए| जो व्यक्ति अपने दोषों को छिपाकर किसी लड़की से विवाह करता है उस व्यक्ति पर 200 पण का अर्थदण्ड लगाया जाना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी एक पुत्री को दिखाकर दूसरी से विवाह करता है, उस व्यक्ति पर उत्तम साहस (एक हजार पण तक का अर्थदण्ड) दण्ड लगाया जाना चाहिए। इसी प्रकार जो व्यक्ति अपनी पुत्री का विक्रय करता है उस पर विक्रय की गई राशि का दोगुना अर्थदण्ड लगाया जाना चाहिए|[10]
6. यदि कोई पालतू जानवर किसी व्यक्ति के खेत के मकई को खा जाता है तो उस जानवर का मालिक जिस व्यक्ति का खेत चर लिया जाता उसे उसके नुकसान के 10 गुना के बराबर क्षतिपूर्ति देता था। परन्तु देवता को समर्पित बैल तथा 10 दिन पहले व्याही गई गाय के मामले में इस अर्थदण्ड से छूट दिया गया।
7. यदि कोई क्षत्रिय किसी ब्राह्मण को गाली देता है तो उस पर 100 पण का अर्थदण्ड लगाया जाना चाहिए इसी प्रकार यदि कोई वैश्य वर्ण का व्यक्ति किसी ब्राह्मण को गाली देता है तो उस पर 200 पण का अर्थदण्ड लगाया जाना चाहिए। यदि कोई शूद्र वर्ण का व्यक्ति किसी ब्राह्मण को गाली देता था तो उसे इस अपराध के लिए मृत्युदण्ड दिया जाता था। यदि कोई ब्राह्मण किसी क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र वर्ण के व्यक्ति को गाली देता है तो उस पर क्रमश: 50 पण, 25 पण तथा 12 पण का अर्थदण्ड लगाया जाना चाहिए। यदि कोई वैश्य किसी क्षत्रिय को गाली दे तो उस पर 250 पण का अर्थदण्ड लगाया जाना चाहिए। यदि कोई शूद किसी क्षत्रिय को गाली दे तो दण्डस्वरूप उसका जीभ कटवा देना चाहिए। यदि कोई क्षत्रिय किसी वैश्य या शूद्र वर्ण के व्याक्ति को गाली दे तो उस पर क्रमश: 50 पण तथा 25 पण का अर्थदण्ड लगाना चाहिए। यदि कोई वैश्य वर्ण का व्यक्ति किसी शूद्र को गाली दे तो उस पर 50 पण का अर्थदण्ड लगाया जाना चाहिए। समान वर्ण के व्यक्तियों को गाली देने पर 12 पण का अर्थदण्ड लगाया जाना चाहिए।[11]
8. जो व्यक्ति अपने देश जाति, शारीरिक श्रम तथा धर्मशास्त्रों के विषय में गलत वक्तव्य देता है, उस पर उत्तम साहस का दोगुना अर्थदण्ड लगाया जाना चाहिए तथा जो व्यक्ति राजा के शासन की अवहेलना करता है उस पर भी उत्तम साहस का दोगुना अर्थदण्ड लगाया जाना चाहिए। इसी प्रकार जो व्यक्ति जानबूझकर शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के खिलाफ कटु शब्दों का प्रयोग करता है, उस पर एक तोला चांदी के काषार्पण का अर्थदण्ड लगाया जाना चाहिए।जो व्यक्ति अपने माता-पिता, ससुर, गुरु तथा

बड़े भाई को गाली देता है या अपशब्द कहता है उस पर 100 पण का अर्थदण्ड लगाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति मजाक में दूसरे को गाली देता है तो भी उस पर 50 पण का अर्थदण्ड लगाया जाना चाहिए।

9. दूसरों के रक्त बहाने वाले पर 100 पण का अर्थ दण्ड लगाना चाहिए। दूसरों का मांस क्षतिग्रस्त करने वाले पर 6 निष्क का अर्थदण्ड लगाया जाना चाहिए। छोटे जानवरों तथा हिरण को मारने वाले पर उसके दाम के दोगुने के बराबर अर्थदण्ड लगाने चाहिए। यदि कोई व्यक्ति फलों से लदे हुए वृक्षों को काटता है तो उस पर भी सोने के टुकड़े का अर्थदण्ड लगाया जाना चाहिए। यदि यह वृक्ष मुख्य सड़क, किसी तालाब के निकट है तो उस पर दोगुना अर्थदण्ड लगाया जाना चाहिए । फल से लदे हुए वृक्ष, लता, फूल से सुसज्जित वृक्षों को नष्ट करने वाले के ऊपर एक माषक सोने का अर्थदण्ड लगाया जाना चाहिए। यदि कोई बिना आवश्यकता के घास भी काटता है तो उस पर एक काषार्पण का अर्थदण्ड लागाया जाना चाहिए । बिना किसी कारण के जानवरों को पीटने वाले पर तीन रत्ती कृष्णल का अर्थदण्ड लगाया जाना चाहिए।
10. यदि कोई पानी से भरे पात्र को तोड देता है या फिर कुए से रस्सी/ बर्तन की चोरी करता है, तो उस पर एक माषा सोने का अर्थदण्ड लगाया जाना चाहिए। कपास, शराब, गोबर, गुड, पक्षी, तेल, मछली, घी, मांस, नमक, चावल, शहद की चोरी करने वाले व्यक्ति से इनके कीमत का दोगुना अर्थदण्ड वसूल करना चाहिए। खेत से चावल तथा फूल की चोरी करने वाले से पाँच माषा सोने या चांदी का अर्थदण्ड वसूल करना चाहिए। इसी प्रकार पकी हुई फसल, शाक फल तथा जामुन की चोरी करने वाले व्यक्ति से 100 माषा का अर्थदण्ड वसूल करना चाहिए। यदि उपर्युक्त की चोरी करने वाला चोर सन्तान रहित है तो 100 पण जबकि सन्तान युक्त होने की दशा में चोर से 200 पण का अर्थदण्ड वसूल करना चाहिए।
11. यदि कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य महिला के साथ सम्बन्ध बनाता है तो उस पर उत्तम साहस का अर्थदण्ड लगाया जाना चाहिए। यदि ब्राह्मण वर्ण का व्यक्ति किसी वैश्य महिला के साथ तथा क्षत्रिय वर्ण का व्यक्ति किसी शूद्र महिला के साथ सम्बन्ध बनाता है तो उस पर मध्यम साहस का अर्थदण्ड लगाया जाना चाहिए। यदि वैश्य वर्ण का व्यक्ति शूद्र महिला के साथ ऐसा करता है तो उस पर प्रथम साहस का अर्थदण्ड लगाया जाना चाहिए। इसी प्रकार यदि कोई शूद्र अपने समुदाय की महिला के साथ सम्बन्ध बनाता है तो उस पर 100 पण का अर्थदण्ड लगाया जाना चाहिए। इसी प्रकार यदि वैश्य वर्ण का व्यक्ति किसी वैश्य वर्ण की ही महिला के साथ संभोग करता है तो उस पर 200 पण का अर्थदण्ड लगाया जाना चाहिए। यदि क्षत्रिय वर्ण का व्यक्ति किसी क्षत्रिय महिला के साथ संभोग करता है तो उस पर 300 पण का अर्थदण्ड लगाया जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपने माता-पिता की बहन, मामा की पत्नी, सास, चचेरी बहन, चाची, किसी मित्र अथवा शिष्य की पत्नी के साथ अवैध सम्बन्ध बनाता है तो अर्थदण्ड की राशि दोगुना तक की जा सकती थी |
12. यदि कोई द्विज वर्ण का व्यक्ति किसी वेश्या के साथ संभोग करता है तो उसकी मजदूरी दी जानी चाहिए | यदि कोई वेश्या अपनी मजदूरी प्राप्त करने के बाद किसी अन्य व्यक्ति के पास जाती है तो

उस पर भुकतान की गई राशि का दोगुना अर्थदण्ड लगाया जाना चाहिए, यदि कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति की आड़ में वेश्या को दूसरे पुरुष के पास ले जाता है तो उस पर एक माषा स्वर्ण का अर्थदण्ड लगाया जाना चाहिए । यदि कोई पुरुष वेश्या बुलाने के बाद उसके साथ अप्राकृतिक सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयास करे तो राजा को तय की गई राशि का दोगुना अर्थदण्ड वेश्या को दिलवाना चाहिए । यदि कई लोग मिलकर किसी वेश्या के साथ जबरदस्ती करने का प्रयास करे तो राजा को प्रत्येक व्यक्ति से उसकी मजदूरी का दोगुना अर्थदण्ड उस वेश्या को दिलवाना चाहिए ।

13. यदि कोई व्यक्ति अपने माता-पिता, गुरु , पुजारी तथा पत्नी को त्याग देता है तो उस पर 600 काषार्पण का अर्थदण्ड लगाया जाना चाहिए । इसी प्रकार प्रतिबंधित समय पर अध्ययन करने वाले छात्र पर तीन काषार्पण तथा अध्यापन कराने वाले शिक्षक पर 6 काषार्पण का अर्थदण्ड लगाना चाहिए ।[13]
14. बीमार व्यक्ति का गलत उपचार करने वाले चिकित्सक से परिस्थिति के अनुसार उत्तम साहस, मध्यम साहस तथा प्रथम साहस का अर्थदण्ड वसूल करना चाहिए ।
15. राजकीय छत्र, बैनर, मूर्ति तोड़ने वालों पर 500 काषापर्ण का अर्थदण्ड लगाया जाना चाहिए तथा उसकी मरम्मत भी कराई जानी चाहिए ।
16. यदि कोई शूद्र वर्ण का व्यक्ति लहसुन, प्याज, चिकन तथा नाखून वाले जानवरों को खाता है तो उस पर एक कृष्णल का अर्थदण्ड लागाया जाना चाहिए। जबकि ऐसा करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य वर्ण पर क्रमशः चार गुना, तीन गुना तथा दो गुना अर्थदण्ड लागाया जाना चाहिए।
17. वशीकरण तथा व्यभिचार करने वाले व्यक्तियों पर 500 पण का अर्थदण्ड लगाना चाहिए।
18. यदि कोई व्यक्ति देश की मूर्ति, शस्त्र, बलिदान, तपस्या का गलत उपयोग करता है तो उस पर उत्तम साहस का अर्थदण्ड लगाना चाहिए। यदि इसी प्रकार का अपराध लोगों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति पर दो गुना अर्थदण्ड लगाया जाना चाहिए।
19. यदि उच्च वर्ण का व्यक्ति किसी ऐसी चीज को छूता है जो उसे नहीं छूना चाहिए या फिर जानवरों को पकड़ता है अथवा नौकरानी का गर्भपात करवाता है तो उस पर 100 काषार्पण का अर्थदण्ड लगाना चाहिए|
20. यदि राजा का लेखक स्टाम्प पेपर पर लिखकर किसी व्यभिचारी अथवा चोर को मुक्त कर दे तो उस पर उत्तम साहस का अर्थदण्ड लगाना चाहिए। यदि वह क्षत्रिय वर्ण का है तो उस पर मध्यम साहस का अर्थदण्ड लगाना चाहिए। यदि वह वैश्य वर्ण का है तो उसे प्रथम साहस का अर्थदण्ड देना चाहिए।

शारीरिक दण्ड तथा मृत्युदण्ड - मत्स्य पुराण में अनेक ऐसे अपराधों का उल्लेख मिलता है, जिनके लिए मृत्युदण्ड तथा शारीरिक रूप से दण्ड देने का प्रावधान किया गया।

1. जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की उपयोगी वस्तु की चोरी करता है, उसे राजा द्वारा मृत्युदण्ड या अन्य कठोर दण्ड देनी चाहिए।

2. उधार ली गई वस्तु को समय के भीतर उसके वास्तविक स्वामी को वापस न करने वाले व्यक्ति को राजा पूर्व साहस दण्ड दे सकता था।
3. यदि कोई शूद वर्ण का व्यक्ति राजा को अपमानित करने के उद्देश्य से उसके नाम, जाति, जन्म स्थान का प्रयोग करता है तो ऐसे शूद्र को दण्डित करने के लिए उसके मुख में लोहे की 10 अंगुल लाल तथा गर्म छड़ डाल देनी चाहिए। इसी प्रकार यदि कोई शुद्र वर्ण का व्यक्ति किसी द्विज को कष्ट पहुंचाता है तो उसके उस अंग को कटवा देनी चाहिए जिसके माध्यम से उसने कष्ट पहुंचाई है। यदि कोई शूद्र व्यक्ति किसी द्विज को धर्म की शिक्षा देता है तो उस शूद्र के मुख तथा कान में खौलता तेल डलवा देना चाहिए[15]
4. यदि कोई व्यक्ति अंहकारवश किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर पेशाब करता है या फिर थूक देता है तो राजा को उस अहंकारी व्यक्ति के लिंग, गुदा तथा होंठ को कटवा देना चाहिए। यदि कोई निम्न वर्ण का व्यक्ति जानबूझकर किसी उच्च वर्ण के व्यक्ति के बैठने के स्थान पर बैठ जाए तो राजा द्वारा उसे कूल्हे पर निशान लगवाकर बाहर कर देना चाहिए या फिर कूल्हा ही कटवा देना चाहिए |[16]
5. यदि निम्न वर्ण का कोई व्यक्ति किसी उच्च वर्ण के बाल, गर्दन, नाक, अण्डकोश तथा पैर पकड़ने का प्रयास करे तो राजा को दण्ड स्वरूप उस व्यक्ति के हाथ कटवा देना चाहिए।
6. गाय, हाथी, घोड़े, तथा ऊँट को मार डालने वाले व्यक्ति को दण्डस्वरुप राजा को उस व्यक्ति का एक पैर कटवा देना चाहिए।
7. किसी उच्च वर्ण के व्यक्ति के सोना, चांदी, पत्नी, बैल, हथियार तथा औषधि की चोरी करने वाले को राजा द्वारा मृत्युदण्ड की सजा दी जानी चाहिए। किसी ब्राह्मण के यहाँ से गाय, भैंस, घोड़ा की चोरी करने वाले व्यक्ति का एक पैर कटवा देना चाहिए।
8. बिना दासी की सहमति के उसका शील भंग करने वाले व्यक्ति को तुरन्त दण्डित किया जाना चाहिए, लेकिन अगर दासी की सहमति से ऐसा किया गया है तो उस व्यक्ति पर 200 दाम का अर्थदण्ड लगाना चाहिए। जो व्यक्ति अपने घर पर इस प्रकार का कृत्य करने की अनुमति देता है, वह भी उतनी ही सजा का हकदार है। जो किसी दूसरे की पत्नी के साथ संभोग करता है उसे मृत्युदण्ड दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार यदि कोई अपने ही देश के कन्या से विवाह के पश्चात उसे विदेश लेकर चला जाता है तो उसे चोर मानकर मृत्युदण्ड दिया जाता था। जो कोई पैसे के लालच में शादी करता है वह भी दण्ड का पात्र है।[17]
9. यदि निम्न वर्ण का पुरुष किसी उच्च वर्ण की स्त्री से विवाह करता तो उसे मृत्युदण्ड दिया जाता था| इसी प्रकार यदि कोई निम्न वर्ण की महिला किसी उच्च वर्ण के पुरुष के साथ विवाह करती है तो उसे भी मृत्युदण्ड दिया जाता था|
10. अपने पति की आज्ञा न मानने वाले स्त्री को राजा देश से निकाल सकता था। यदि कोई व्यभिचारिणी स्त्री अपनी ही जाति के पुरुष से दूषित हो जाती थी, तो राजा ऐसी स्त्रियों को उनके अधिकारों से वंचित

कर सकता था। उन्हें केवल मलिन वस्त्र तथा नाममात्र का भोजन प्रदान किया जाना चाहिए। यदि इस प्रकार का कृत्य कोई श्रेष्ठ व्यक्ति करता है तो उसका सिर मुण्डित करवा देना चाहिए तथा उसे भी पहनने के लिए मलिन वस्त्र प्रदान करना चाहिए।

11. यदि कोई व्यक्ति राजा की पत्नी, उच्च कुल की स्त्री, भिक्षुणी स्त्री, अपनी बहन की बेटी के साथ सम्बन्ध बनाता है तो राजा द्वारा उस व्यक्ति का लिंग कटवाकर दण्डित करना चाहिए। यदि कोई चाण्डाल की पत्नी के साथ सम्बन्ध बनाता है तो उसे मृत्युदण्ड दी जानी चाहिए| [18] मत्स्य पुराण में अनेक ऐसे अपराध का उल्लेख है जिनके लिए अर्थदण्ड तथा शारीरिक दण्ड दोनों का प्रावधान था उदाहरण के लिए-

1. यदि कोई व्यक्ति शुल्क प्राप्त करने के बाद भी अपने अधीन गाय के दूध की चोरी करता है अथवा उस गाय की ठीक से देखभाल नहीं करता है तो उस व्यक्ति को लोहे की जंजीरों से बाँधकर पीटा जाना चाहिए तथा उस पर 100 माषा सोने का अर्थदण्ड भी लगाया जाना चाहिए ।
2. यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के किसी अंग की हड्डी को खण्डित कर देता है तो घायल व्यक्ति के उपचार का खर्च उसी व्यक्ति से वसूल करना चाहिए जिसने ऐसा किया है तथा उसका भी वही अंग विकृत कर देना चाहिए जिससे सामने वाले को चोट पहुँचाई गयी है।[19]
3. यदि कोई व्यक्ति गाँव, देश तथा धान का खेत देने का वादा करता है परन्तु उसे पूरा नहीं करता है तो राजा ऐसे व्यक्तियों को अपने राज्य से निष्कासित कर सकता था । यदि कोई व्यक्ति कृषकों से राजस्व वसूल लेता है परन्तु राजकोश में उसे जमा नहीं करता है तो राजा द्वारा उस व्यक्ति की समस्त सम्पत्ति जब्त कर उसे देश से निष्कासित कर देनी चाहिए|[20]
4. यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मणों, बच्चों तथा स्त्रियों की हत्या करता है, राजा के शत्रुओं की मदद करता है, शाही खजाने तथा राजकीय शस्त्रागार को लूटने की कोशिश करता है, निम्न गुणवत्ता वाले बीजों को उत्तम कोटि का बताकर बेचता है अथवा मन्दिरों में तोड़-फोड़ या लूटपाट करता है, तो उसे राजा द्वारा मृत्युदण्ड की सजा दी जानी चाहिए। इसी प्रकार जो व्यक्ति अपनी पत्नी, पुत्र तथा गुरु की आग में जलाकर या फिर जहर खिलाकर हत्या करता है तो उसका कान, नाक, होंठ को दण्डस्वरूप कटवा देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति राजा की पत्नी के साथ अवैध सम्बन्ध बनाता है अथवा गाँव, घर तथा खेत में आग लगाता है, उसे भी दण्डस्वरूप जलती हुई आग में फेंक देना चाहिए।[21]

निष्कर्ष इस प्रकार मत्स्य पुराण के अध्ययन से स्पष्ट पता चलता है कि यह भारतीय राजनीतिक चिन्तन की अमूल्य निधि है। यह तत्कालीन भारत के राजनीतिक तथा सामाजिक जीवन का विस्तृत वर्णन हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। राजधर्म के वर्णन से स्पष्ट पता चलता है कि राजा का प्रमुख कर्तव्य अपने प्रजा की रक्षा करना तथा उसके उत्थान के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना था। प्रजा के कल्याण में ही राजा का भी कल्याण निहित है। समाज में अराजक तत्वों से निपटने के लिए, सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए

तथा सबके कल्याण के लिए न्याय व्यवस्था का सर्वसुलभ होना तथा सशक्त दण्ड नीति का पालन आवश्यक था इसी कारण शासक वर्ग ने इस दिशा में विशेष ध्यान दिया। इस समय समाज में ब्राह्मण वर्ण को सर्वाधिक सम्मानित स्थान प्राप्त था इसी कारण चारों वर्णों में ब्राह्मण को सबसे कम दण्ड दिया जाता था। मत्स्य पुराण में दण्ड के सम्बन्ध में जो वर्णन प्राप्त होता है, उससे यही पता चलता है कि इस समय शारीरिक दण्ड या मृत्युदण्ड की तुलना में अर्थदण्ड पर अधिक बल दिया जाता था। केवल गम्भीर प्रवृत्ति के अपराधों के लिए ही मृत्युदण्ड का प्रावधान किया गया जबकि सामान्य अपराध में मात्र अर्थदण्ड (जुर्माने) की ही सजा दी जाती थी।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. मनुस्मृति 8.12
2. याज्ञवल्क्य स्मृति 1-359-360
3. मत्स्य पुराण 214.25
4. मत्स्य पुराण 250.9
5. वही, 225.2
6. वही, 225.6-7
7. वही, 225.3-4
8. वही, 225.9
9. वही, 225.14-15
10. वही, 227.14-21
11. वही, 227.67-72
12. वही, 227.135-142
13. वही, 227.147-149
14. वही, 227.199-200
15. वही, 227.74,75,83
16. वही, 227.84-85
17. वही, 227.124-130
18. वही, 227.140-142
19. वही, 227.87-88
20. वही, 227.154-157
21. वही, 227.197-199